

तुरंत

प्रेषक

निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला

सेवा में

सभी प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय
(शिक्षण महाविद्यालयों को छोड़कर)


यादि क्रमांक 12/2-2017 छा.(6)
दिनांक पंचकूला 20.11.2017

विषय:-

Consolidated stipend scheme for the welfare of SC students pursuing Higher Education in Government Colleges in Haryana for the year 2017-18.


उपरोक्त विषय पर निदेशालय के पत्र क्रमांक 12/2-2017 छा.(6) दिनांक 13.10.17, 26.10.17, 03.11.17, 7.11.2017 तथा 14.11.17 की निरंतरता में।

आपको सूचित किया जाता है कि जिन राजकीय महाविद्यालयों द्वारा उक्त स्कीम के तहत वर्ष 2017-18 की राशि पात्र छात्रों में वितरित नहीं की गई है उनसे पुनः अनुरोध है कि राशि जल्द से जल्द खजाने से ड्रा करके पात्र छात्रों को राशि का भुगतान करके EPS की प्रति तुरंत निदेशालय को भिजवाए तथा अतिरिक्त राशि की मांग बारे भी सूचित करें। राशि लैप्स होने पर संस्था स्वयं जिम्मेवार होगी।


अधीक्षक छात्रवृत्ति

कृते निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।




22/11/17

प्रेषक

निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला

सेवा में

सभी प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय
(शिक्षण महाविद्यालयों को छोड़कर)

यादि क्रमांक 12/2-2017 छा.(6)
दिनांक पंचकूला 7-11-17

विषय:-


Consolidated stipend scheme for the welfare of SC students pursuing Higher Education in Government Colleges in Haryana for the year 2017-18.

उपरोक्त विषय पर निदेशालय के पत्र क्रमांक 12/2-2017 छा.(6) दिनांक 13.10.17, 26.10.17 तथा दिनांक 03.11.17 की निरंतरता में।

आपको सूचित किया जाता है कि कुछ राजकीय महाविद्यालयों से उपरोक्त स्कीम के तहत वर्ष 2016-17 में प्रदान की जाने वाली मानदेय की राशि बारे मांग प्राप्त हुई है। जिस बारे लिखा जाता है कि विभाग द्वारा भेजी गई वर्ष 2017-18 की शेष बची राशि में से मानदेय की राशि झा कर ली जाए। यदि किसी महाविद्यालय के द्वारा सभी छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान उपरान्त कोई शेष राशि नहीं बचती है। तो उस बारे मांग भेजे। जिन 16 राजकीय महाविद्यालयों के छात्रों की राशि निदेशालय द्वारा Unique Code के माध्यम से दी गई है उन्हें छोड़कर शेष सभी छात्र (All Fresh or Old Students) को तथा निदेशालय द्वारा भेजी गई छात्रों के Unique Code की सूची में जिन छात्रों का Unique Code गलत पाया गया है उनकी राशि भी अपने स्तर पर Unique Code ठीक करवा कर राशि प्रदान की जाए।

अतः आपसे अनुरोध है कि सभी छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान करके EPS की प्रति तुरंत निदेशालय को भिजवाए।


22/11/17


अधीक्षक छात्रवृत्ति,
कृते निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।

प्रेषक

निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला ।

सेवा में

सभी प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय
(शिक्षण महाविद्यालयों को छोड़कर)

यादि क्रमांक 12/2-2017 छा.(6)
दिनांक पंचकूला 14-11-17

विषय:-

Consolidated stipend scheme for the welfare of SC students pursuing Higher Education in Government Colleges in Haryana for the year 2017-18.

उपरोक्त विषय पर निदेशालय के पत्र क्रमांक 12/2-2017 छा.(6) दिनांक 13.10.17, 26.10.17 दिनांक 03.11.17 तथा 7.11.2017 की निरंतरता में।

आपको सूचित किया जाता है कि सभी राजकीय महाविद्यालयों में से कुछ राजकीय महाविद्यालयों से ही उपरोक्त स्कीम के तहत वर्ष 2017-18 में प्रदान की जाने वाली स्टार्डिफण्ड की राशि तथा पुस्तको की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। जबकि बार-बार निदेशालय द्वारा पत्र जारी किए गए हैं फिर भी उक्त निर्देशो की पालना नहीं की जा रही है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि सभी छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान करके EPS की प्रति तुरंत निदेशालय को भिजवाए तथा निम्न प्रोफॉर्मा अनुसार पूर्ण Detail सहित सुचना तत्काल निदेशालय के [E-mail adschoalrship@gmail.com](mailto:adschoalrship@gmail.com) पते पर भेजें।

Sr. No	Amount Received	Books Amount Disburse	Stipend Amount Disburse	Balance Books/Stipned	Beneficiaries	Required Amount 2017-18

22/11/17

अधीक्षक छात्रवृत्ति,
कृते निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला ।